संख्या- 49/2026/I/1250050/2026-68-5002(003)/4/2023

प्रेषक,

सूर्यनाथ उपाध्याय,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 26 फरवरी, 2026

विषय:-**वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में नि:शुल्क स्कूल यूनीफार्म हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः शि0नि0(बे0)/नियोजन/51323-26/2025-26, दिनांक 03-12-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गरीबी रेखा के ऊपर (नान बी०पी० एल०) के केवल छात्र, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं तथा समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निजी प्रबन्धतंत्रों तथा संचालित एवं विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों को निःशुल्क स्कूल यूनीफार्म उपलब्ध कराने हेतु अनुदान संख्या-71 के लेखाशीर्ष -2202-01-102-32-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 16800.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 3600.00 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध किया गया है।

2- सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-71 के लेखाशीर्ष- ''2202-01-102-32-20'' मद में नि:शुल्क स्कूल यूनीफार्म हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 16800.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 11400.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-I/991238/2025-68-5002(003)/4/2023, दिनांक 13.06.2025 द्वारा निर्गत की गयी है ।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में निःशुल्क स्कूल यूनीफार्म हेतु अनुदान सं0-71 के लेखाशीर्ष-2202-01-102-32-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 16800.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से **रू0 3600.00 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को उसी कार्य एवं प्रयोजन हेतु व्यय किया जायेगा, जिस कार्य एवं प्रयोजन के लिए धनराशि दी जा रही है।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत योजना के गाईड-लाइन्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) किसी भी अनियमितता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(5) पात्र छात्रों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो और योजना के गाइडलाइंस का पूर्ण -अनुपालन सुनिश्चितकिये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी0बी0टी0) किया जायेगा ।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-71 के अंतर्गत लेखाशीर्ष "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-32-प्रदेश में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययरत बच्चों को निःशुल्क यूनीफार्म-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-11-471-x-2025-26, दिनांक 20 फरवरी, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा /अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0/माध्यमिक शिक्षा/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
9- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा निदेशालय/बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
10- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
12- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in